**न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, प्रयागराज।**

**जमानत प्रार्थनापत्र संख्या– 2688/2026**

UPAD010072242026

बलवन्त पटेल उर्फ सालिकराम पटेल पुत्र स्व. भैरो प्रसाद, निवासी– ग्राम गड़रीन तारा, थाना धूमनगंज, जनपद प्रयागराज।

.....आवेदक/अभियुक्त

**बनाम**

1. उत्तर प्रदेश राज्य
2. वादी सुनील कुमार पुत्र देवराज निवासी ग्राम– बड़ा कंजासा, थाना घूरपुर, जनपद प्रयागराज।

.....अभियोगीगण

मु.अ.सं.– 88/2024
धारा– 323, 504, 506 भा.दं.सं.
धारा–3(1)(द), 3(1)(ध) एस.सी./एस.टी.एक्ट
थाना– घूरपुर, जनपद– प्रयागराज।

1. आवेदक/अभियुक्त बलवन्त पटेल उर्फ सालिकराम पटेल की ओर से मु.अ.सं.– 88/2024, अन्तर्गत धारा 323, 504, 506 भा.दं.सं. व 3(1)(द), 3(1)(ध) एस.सी./एस.टी. एक्ट, थाना– घूरपुर, जनपद–प्रयागराज में प्रस्तुत किया गया है। जमानत आवेदन–पत्र शपथ पत्र से समर्थित है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा सुनील कुमार द्वारा दिनांक 23.02.2024 को समय 23.53 बजे, थाना घूरपुर, जनपद प्रयागराज में इस आशय का मुकदमा पंजीकृत कराया कि दिनांक 23.02.2024 को रात्रि करीब 09.00 बजे अपना डंफर यू.पी. 70 एफ.टी. 0975 उसका चालक धनंजय यादव गाड़ी को लेकर मंडी से घूरपुर की तरफ आ रहा था। वादी और उसका फुफेरा भाई सुरेन्द्र कुमार डंफर में आगे बैठे थे कि भीटा रेलवे क्रॉसिंग पार करने के बाद डंफर को निखिल, मुन्नू, सालिक एवं शक्तिमान द्वारा डंफर को रोक लिया गया, विरोध करने पर पुरानी बात को लेकर उसे व उसके भाई को गाली–गुप्ता देते हुए लाठी–डंडों से मारा–पीटा जिससे कि उन दोनों को काफी चोटें आयी हैं, लोगों के आने पर अभियुक्तगण जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग गये। विवेचक द्वारा आवेदक/अभियुक्त बलवन्त पटेल उर्फ सालिकराम पटेल व अन्य अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 323, 504, 506 भा.दं.सं. व 3(1)(द), 3(1)(ध) एस.सी./एस.टी. एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

3. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से दौरान बहस यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वह निर्दोष है, उसके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है तथा उसे झूठा व रंजिशन फंसाया गया है। आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, इस जमानत प्रार्थनापत्र के अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र किसी भी न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में न तो विचाराधीन है न ही निरस्त किया गया है। अग्रेतर यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उसके द्वारा वादी को उधार रुपया पूर्व में दिया गया था जिसको न देने के उद्देश्य से उसने एक झूठी कहानी रचकर झूठा अभियोग पंजीकृत कराया। आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध जिन धाराओं में आरोप पत्र प्रेषित किया गया है उनमें से किसी भी धारा में सात वर्ष से अधिक के दण्ड का प्रावधान नहीं है तथा दौरान विवेचना उसे गिरफ्तार नहीं किया गया है। उपरोक्त आधारों पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

4. विद्वान विशेष लोक अभियोजकगण, दाण्डिक की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में एकराय होकर वादी व उसके भाई के साथ मारपीट करने, गाली गलौज करने, जान से मारने की धमकी दिये जाने तथा जातिसूचक शब्दों के प्रयोग से अपमानित किये जाने का आरोप है। उपरोक्त आधारों पर जमानत आवेदन निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

5. मैंने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. उभय पक्षों को सुनने, अभिलेख का अवलोकन करने तथा इस तर्क को दृष्टिगत रखते हुए कि आवेदक/अभियुक्त ने स्वयं को निर्दोष बताते हुए झूठा व रंजिशन फँसाये जाने का कथन किया है। प्रस्तुत

प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध अन्तर्गत धारा– 323, 504, 506 भा.दं.सं. व 3(1)(द), 3(1)(ध) एस.सी./एस.टी. एक्ट में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है तथा न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया जा चुका है। आवेदक/अभियुक्त को दौरान विवेचना गिरफ्तार नहीं किया गया है तथा उसके द्वारा धारा 41(क) दं.प्र.सं. की नोटिस का अनुपालन किया गया है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध जिन धाराओं में आरोप पत्र प्रेषित किया गया है उनमें से किसी भी धारा में सात वर्ष से अधिक के दण्ड का प्रावधान नहीं है। आवेदक/अभियुक्त का न तो कोई आपराधिक इतिहास है और न ही किसी भी अपराध में पूर्व दोषसिद्ध होना बताया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा *सतेन्द्र कुमार अंटिल बनाम सेन्ट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन व अन्य (2021) 10 एस.सी.सी. 773 में* प्रतिपादित सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुए बिना गुणदोष पर विचार किये न्यायालय की राय में आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर अवमुक्त किये जाने का आधार पर्याप्त है तथा जमानत प्रार्थनापत्र सशर्त स्वीकार किये जाने योग्य है।

## आदेश

आवेदक/अभियुक्त बलवन्त पटेल उर्फ सालिकराम पटेल की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा मु0 30,000/– (तीस हजार रूपये) का निजी बंधपत्र एवं इसी धनराशि की एक विश्वसनीय जमानत संबंधित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने व संतुष्टि पर निम्न शर्तों के साथ जमानत पर अवमुक्त किया जाता है–

(i) आवेदक/अभियुक्त द्वारा इस तरह की अपराध की पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी।

(ii) आवेदक/अभियुक्त न्यायालय द्वारा आरोप विरचन व धारा 313 दं.प्र.सं./351 बी.एन.एस.एस. के बयान अंकित किये जाने के स्तर पर आहूत किये जाने पर न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।

(iii) आवेदक/अभियुक्त अभियोजन साक्षीगण के आने पर अनावश्यक स्थगन प्रार्थनापत्र नहीं देगा और न ही साक्षीगण को डरायेगा व धमकायेगा।

(iv) आवेदक/अभियुक्त द्वारा उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किये जाने की दशा में अभियोजन जमानत निरस्तीकरण हेतु न्यायालय में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर सकती है।

दिनांक– जुलाई 17, 2026

(कुमार मयंक)
विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, प्रयागराज
जे.ओ.कोड–यू.पी. 6278

Digitally signed by KUMAR MAYANK
Date: 2026.07.17 16:21:34 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court